समाहरणालय, गया

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

पत्रांक - /पंचा०

दिनांक 2020

फोन नं० :– 0631–2222800, 2222900
फैक्स नं० :– 0631–2223561, 2222100
ई–मेल :– panchayatgaya@gmail.in

–: कार्यालय आदेश :–

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 4046/पं०रा०, पटना, दिनांक 25.07.2018, पत्रांक 7150/पं०रा०, दिनांक 20.12.2018 एवं संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 6073/पं०रा०, दिनांक 23.09.2019 के निर्देशालोक में जिला चयन समिति की दिनांक 15.09.2020 को आयोजित बैठक (कार्यवाही, जो कार्यालय ज्ञापांक 21मु०/पंचा०, दिनांक 15.09.2020 से संसूचित है) में लिए गए निर्णय के आधार पर लेखापाल सह आई.टी. सहायक के लिए निर्धारित मानदेय राशि रु० 20,000–00(बीस हजार) रूपये मात्र प्रति माह की दर से दिनांक 31 मार्च 2021 तक (प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 16(गो0)/पं०रा०, दिनांक 30.03.2020 के आलोक में) संविदा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को वर्णित शर्तों पर नियोजित किया जाता है –

क्र0	Application ID	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	
1	AIT/0073321	SURAJ PATEL	GOPAL PATEL	Vill-Bakhran, PO-Sahupuri, Tehsil-Mughalsarai, Dist.-Chandauli (UP)	18 10 1995	GEN
2	AIT/0092214	NEETU KUMARI	WAKIL PRASAD	Vill-Rajpur, PO-Raghunathpur, PS-Bagengola, Dist.-Buxar.	01 06 1987	EBC
3	AIT/0072392	RANJEET KUMAR	BRIJNANDAN CHAUDHARY	Vill-Rewara, PO-chakand, PS-Belaganj, Dist.-Gaya	11 04 1992	SC
4	AIT/0099637	MAHESH KUMAR	NARAYAN RAM	Mircha Gali, rajendra Path, PO-R.S Gaya, PS-kotwali, Gaya	12 08 1982	EBC
5	AIT/0079098	ANJALI SUDHA	UPENDRA PAL	Vill+PO-Nanand, PS-Silao, Dist.-Nalanda	06 09 1993	EBC
6	AIT/0006243	CHANDAN KUMAR	BINOD PRASAD	Vegetable shop main road khizersarai, PO+PS-khizersarai(Gaya)	16 06 1993	BC
7	AIT/0027084	SHILPI KUMARI	BHAGIRATH PRASAD	Bata more, dulhinganj, Gaya	05 10 1993	BCW (3%)

लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक का निम्नवत् दायित्व होगा :–

1. सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अंतर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखाओं का संधारण सुनिश्चित कराना।
2. अभिलेखों का विधिसम्मत संधारण सुनिश्चित कराना।
3. ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना ।
4. ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।
5. अंकेक्षण सम्पन्न कराना।
6. सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।
7. ई–पंचायत का प्रबंधन एवं लेखाओं का संधारण सुनिश्चित कराना।
8. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा समय समय पर आवंटित किये गये अन्य कार्यदायित्वों का निर्वहन करना।

शर्त्त :–

1. यह नियोजन दिनांक 31 मार्च 2021 तक मान्य होगा। आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

2. नियोजित लेखापाल सह आई.टी. सहायक को सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र(सिविल सर्जन द्वारा निर्गत), एकरारनामा (परिशिष्ट 1) के साथ दिनांक 10.10.2020तक जिला पंचायत राज कार्यालय, गया में योगदान समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।
4. चयनित लेखापाल सह आई.टी. सहायक को संविदा से हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
6. मानदेयः इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय 20,000=00(बीस हजार) रूपये प्रतिमाह देय होगा।
7. नियोजित अभ्यर्थी को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-4046/पं0रा0 पटना, दिनांक 27.07.2018 द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान पदस्थापित कार्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत राज कार्यालय, गया द्वारा किया जायेगा।
8. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नही होगा।
10. अनुबंध पर नियोजित कर्मियों को 03 (तीन) माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।
11. नियोजित कर्मियों के नियोजन से संबंधित भविष्य मे किसी प्रकार का प्रतिकूल मामला प्रकाश मे आता है एवं मामला जॉच में सही पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
गया।

ज्ञापांक 1510/जि0पं0,गया, दिनांक 24/09/2020

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सिविल सर्जन गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य प्रमंडल (P.H.E.D.) गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/सभी पंचायत सचिव, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- नाजीर, जिला पंचायत शाखा, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/09/20

जिला पदाधिकारी,
गया।